प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं. 146/ 2025

प्रियलेश प्रसाद, पिता- स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद, आयु- लगभग 61 वर्ष, वर्तमान में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, संभाग- बैकुंठपुर, जिला- कोरिया छत्तीसगढ़, के कार्यालय में सहायक अभियंता के रूप में पदस्थ।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – प्रमुख अभियंता (इंजीनियर- इन- चीफ), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

4 - मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़

5 – कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, संभाग- बैकुंठपुर जिला- कोरिया।

..... उत्तरवादी

(वाद- शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आशीष तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादियों की ओर से : श्री अजीत सिंह, शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

24.01.2025

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री आशीष तिवारी के साथ-साथ राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अजीत सिंह को सुना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रस्तुत रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, संभाग- बैकुंठपुर, जिला- कोरिया (छ.ग.) के रूप में कार्यरत थे और उन्हें उप-मंडल अधिकारी, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, भूजल पुनर्भरण उप-मंडल, जगदलपुर (छ.ग.) में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस रिट याचिका को दायर कर याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष/अनुतोषों की मांग की हैः-

> "क) उत्तरवादी सं. 1 द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किए गए 01/01/2025 दिनांकित आक्षेपित हस्तांतरण आदेश (अनुलग्नक **P**/1) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण (सर्टियोरी) या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किया जावे।
>
> ख) कोई अन्य आदेश पारित किया जावे जो यह न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझे।"

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान में याचिकाकर्ता उत्तरवादियों/विभाग में सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, संभाग बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) के रूप में कार्यरत है और उसके पास सेवानिवृत्त होने के लिए केवल 4 माह हैं। वे विशेष रूप से निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता 31.05.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है और कोई प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ती नहीं होगी। अतः उसके स्थानांतरण आदेश को रद्द किया जा सकता है।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया और यह तर्क करते हुए याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की कि यह आक्षेपित आदेश पूरी तरह सारवान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और सुसंगत दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें याचिकाकर्ता जो 19.09.1989 के बाद से उत्तरवादियों/विभाग में सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, संभाग बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) के रूप में कार्यरत है। बारीकी से जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक बूढ़ा व्यक्ति है और यदि याचिकाकर्ता को 4 माह के लिए इतने दूर के स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, जहां याचिकाकर्ता अपने पेंशन से संबंधित कागजात तैयार करने के लिए समन्वय नहीं कर पाएगा, तो कोई भी प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ती नहीं होगी।

7. यह भी सच है कि स्थानांतरण नीति का खंड 22 यह निर्धारित करता है कि वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें आमतौर पर एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त किया जाना है, उन्हें सामान्य क्रम में स्थानांतरण के अधीन नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों या सामान्य क्रम में, वे उस स्थान से सेवानिवृत्त हो सकते हैं जहां वे काम कर रहे हैं यदि उनके पास सेवानिवृत्त होने के लिए एक वर्ष है। वर्तमान प्रकरण में

याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने में लगभग चार माह बचे हैं। ऐसी कौन सी गंभीर प्रशासनिक आवश्यकता थी जिसने उत्तरवादियों/राज्य को एक कर्मचारी का स्थानांतरण करने के लिए मजबूर किया जब याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के लिए चार माह बचे थे। इस तरह के प्रयास ने उत्तरवादियों के प्रकरण को संदिग्ध बना दिया। यदि याचिकाकर्ता कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहा था तो कुछ कड़े उपायों सहित अन्य विकल्प उपलब्ध थे, परन्तु यदि उसके कार्यकाल के अंत में कर्मचारी को स्थानांतरण पर भेजा जा रहा है तो उसके लिए सुसंगत कागजात एकत्र करना और पेंशन भुगतान आदेश तैयार करना मुश्किल है। इसके अलावा, अपने व्यवसायिक जीवन के अंतिम चरण में, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति का ध्यान रखना होता है, साथ ही अन्य पारिवारिक मसलों को भी हल करना होता है। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह उक्त आवश्यकताओं पर ध्यान दे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. ऐसा प्रतीत होता है कि यदि याचिकाकर्ता को चार माह के लिए अलग-अलग स्थान पर पदस्थ किया जाता है, तो कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि उस समय का उपयोग वह नए परिवेश के साथ अभ्यस्त होने के लिए करेगा और प्रभावी ढंग से सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में रुचि खो देगा। अकेले इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादियों का प्रयास सार्वजनिक नीति के सिद्धांत के विपरीत है।

9. यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि लोक सेवा में स्थानांतरण सेवा की एक घटना है। उक्त विवाद्यक पर**(1986) 4 एस. सी. सी. 131** में प्रतिवेदित **बी. वरधा राव बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा विचार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> "5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हस्तांतरण की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो शक्ति का प्रयोग दूषित हो जाता है। परन्तु यह कहना एक बात है कि हस्तांतरण का आदेश जो जनहित में नहीं बल्कि

संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ किया जाता है, शक्तियों के दुरुपयोग से दूषित हो जाता है, और यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि सेवा की अनिवार्यताओं में किया गया ऐसा आदेश संबंधित शासकीय कर्मचारी के नुकसान के लिए व्यक्त या निहित सेवा की किसी भी शर्त में भिन्न होता है। याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, ने शेषराव नागोराव उमाप बनाम महाराष्ट्र राज्य (1985) 2 एल. एल. जे. 73 (बम) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा व्यक्त किया, जैसा कि उसने उच्च न्यायालय में किया था। हम यह नहीं देख पाते हैं कि इस प्रश्न पर निर्णय कैसे किसी भी तरह से फायदेमंद हो सकता है। विद्वान न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसके द्वारा एक चिकित्सा अधिकारी ने उनके स्थानांतरण के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि यह न केवल दुर्भावनापूर्ण था, परन्तु शक्ति के मनमाने प्रयोग में जारी किया गया था और इसलिए पूरी तरह से अवैध और अमान्य था। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि डॉ. आर. पी. पाटिल के राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्हें समायोजित करने के उद्देश्य से शासकीय नीति के विपरीत उनका स्थानांतरण किया जा रहा था। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार के पास हस्तांतरणीय पद पर कार्यरत अपने कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की शक्ति है, परन्तु इस शक्ति का उपयोग प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से किया जाना चाहिए।यदि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से हस्तांतरण का आदेश निरस्त होने योग्य है। उन्होंने ई. पी. रोयप्पा बनाम टी. एन. राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 3

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अवलंब लिया है, इस सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए कि 'समानता मनमानेपन का विरोधी है' और यह माना कि टिप्पणियां लोक सेवकों के हस्तांतरण के संबंध में नीति पर समान रूप से लागू होती हैं। यह टिप्पणी की गई :

> यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि लोक सेवा में स्थानांतरण सेवा की एक घटना है। यह सेवा की एक निहित शर्त भी है और नियुक्ति प्राधिकरण के पास इस मामले में व्यापक विवेकाधिकार है।सरकार यह तय करने के लिए सबसे अच्छी न्यायाधीश है कि अपने कर्मचारियों की सेवाओं का वितरण और उपयोग कैसे किया जाए। यद्यपि, इस शक्ति का उपयोग ईमानदारी, सद्भाव और उचित रूप से किया जाना चाहिए। इसका उपयोग जनहित में किया जाना चाहिए। यदि शक्ति का प्रयोग बाहरी विचारों पर या किसी विदेशी उद्देश्य या तिरछे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो यह दुर्भावनापूर्ण और मनमाने शक्ति के प्रयोग के बराबर होगा। बार-बार स्थानांतरण, इस तरह के स्थानांतरण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त कारणों के बिना, को दुर्भावनापूर्ण माना जाना चाहिए। एक स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण होता है जब इसे घोषित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, जैसे कि सामान्य क्रम में या सार्वजनिक या प्रशासनिक हित में या सेवा की आवश्यकताओं में, परन्तु अन्य उद्देश्यों के लिए, अज्ञात कारणों से व एक अन्य व्यक्ति को समायोजित करने के लिए किया जाता है। यह विधि के शासन और अच्छे प्रशासन का मूल सिद्धांत है कि प्रशासनिक कार्य भी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए।

यह टिप्पणी कि स्थानांतरण भी सेवा की एक निहित शर्त है, एक आम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

टिप्पणी है। निश्चित रूप से इस तर्क के समर्थन में इस बात का अवलंब लिया नहीं किया जा सकता है कि स्थानांतरण का आदेश वास्तव में एक शासकीय कर्मचारी के नुकसान से भिन्न होता है, उसकी सेवा की किसी भी शर्त से नियम 19 (1) (क) के तहत आक्षेपित आदेश अपील योग्य हो जाता है।

6. कोई इस बात की निंदा किए बिना नहीं रह सकता कि बार-बार, अनिर्धारित और अनुचित स्थानांतरण एक परिवार को उखाड़ फेंक सकते हैं, एक शासकीय कर्मचारी को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं और उसे हताशा में धकेल सकते हैं। यह उनके बच्चों की शिक्षा को बाधित करता है और कई अन्य जटिलताओं और समस्याओं की ओर ले जाता है और इसके परिणामस्वरूप कठिनाई होती है और मनोबल गिरता है। अतः यह माना जाता है कि हस्तांतरण की नीति उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।परन्तु , साथ ही, यह भी नहीं भुलाया जा सकता है कि जहां तक उच्च या अधिक जिम्मेदार पदों का संबंध है, सरकार के एक स्टेशन या एक विभाग में निरंतर पोस्टिंग अच्छे प्रशासन के लिए अनुकूल नहीं है। यह निहित स्वार्थ पैदा करता है और इसलिए हम पाते हैं कि ब्रिटिश काल से ही सामान्य नीति एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति की अवधि को प्रतिबंधित करने की रही है। हम यह जोड़ना चाहते हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति अलग है। हमें विश्वास है कि सरकार स्थानांतरण का आदेश देते समय इन विचारों को ध्यान में रखेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके अलावा, **(2009) 2 एस. सी. सी. 592** में प्रतिवेदित **सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ व अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> **"**16. निर्विवाद रूप से स्थानांतरण का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हस्तांतरण, जो आमतौर पर सेवा की एक घटना है, में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां प्राधिकरण की भाग दुर्भावना साबित होती है। दुर्भावना दो प्रकार की होती है- एक वस्तुतः द्वेष और दूसरा विधि में द्वेष। विचाराधीन आदेश विधि में द्वेष के सिद्धांत को आकर्षित करेगा क्योंकि यह स्थानांतरण का आदेश पारित करने के लिए किसी भी कारक पर आधारित नहीं था और एक अप्रासंगिक आधार अर्थात् अनाम शिकायत में अपीलार्थी के विरूद्ध लगाए गए प्रश्नों पर आधारित था। यह कहना एक बात है कि नियोक्ता प्रशासनिक आवश्यकताओं में स्थानांतरण का आदेश पारित करने का हकदार है, परन्तु यह कहना एक अन्य बात है कि स्थानांतरण का आदेश सजा के रूप में या उसके बदले में पारित किया जाता है। जब सजा के बदले स्थानांतरण का आदेश पारित किया जाता है, तो उसे पूरी तरह से अवैध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. निर्विवाद रूप से, स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और सामान्य क्रम में एक रिट याचिका में स्थानांतरण मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी कर्मचारी को प्राधिकरण द्वारा बार-बार स्थानांतरित किया जाता है और उसे एक स्थान पर अपना सामान्य कार्यकाल जारी रखने या पूरा करने नहीं दिया जाता है तो उच्च न्यायालय आदेश की वैधता की जांच नहीं कर सकता है। स्थानांतरण मामलों में हस्तक्षेप का दायरा इस कारण से बहुत सीमित है कि स्थानांतरण को एक

प्रशासनिक अभ्यास माना जाता है और यह एक सेवा की घटना है, अतः यदि प्रशासनिक आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो नियोक्ता को कर्मचारी का स्थानांतरण करने का पूरा अधिकार है, परन्तु कई अवसरों पर, सर्वोच्च न्यालालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार किया है कि यदि किसी कर्मचारी का मनमाने ढंग से बार-बार स्थानांतरण किया जाता है, तो अधिकारियों के उस आचरण को उनके द्वारा की गई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई माना जाता है और ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है।

12. जनहित में पारित स्थानांतरण आदेश का समर्थन इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त कारणों के साथ किया जाना चाहिए। एक बार जब स्थानांतरण आदेश जनहित में दिया जाता है, तो न्यायालय आम तौर पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि आदेश दुर्भावना से या वैधानिक नियमों के विरूद्ध पारित नहीं किया जाता है। स्थानांतरण आदेश को संसाधित करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है, अतः यदि जनहित में किए गए स्थानांतरण आदेश को व एक अन्य गुप्त आदेश द्वारा बिना कोई कारण बताए स्थानांतरण आदेश को संशोधित/रद्द करने या स्थगित रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह सार्वजनिक हित में नहीं है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि आदेश शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों की सनक और इच्छा पर पारित माना जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आवश्यकता के बारे में कोई कारण बताए बिना उसकी सेवा के अंतिम छोर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में, न्यायालय को यह मत प्रारूप में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता की सेवा के अंतिम छोर पर मनमाने ढंग से स्थानांतरित किया जा रहा है और नियोक्ता की ऐसी कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए।

14. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, जब याचिकाकर्ता के पास सेवानिवृत्त होने के लिए इतना कम समय रह जाता है, तो कर्मचारी का स्थानांतरण करने के लिए उत्तरवादियों/राज्य का आग्रह सार्वजनिक नीति, स्थानांतरण नीति के माध्यम से दिशानिर्देशों के विरूद्ध गलत प्रतीत होता है और बाहरी विचार के जाल से दूषित है क्योंकि प्रशासनिक कारणों के अलावा स्थानांतरण के लिए कोई आधार नहीं भेजा गया है जो किसी ठोस उद्देश्य, कारणों और विचार पर आधारित होना चाहिए।

15. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। 01.01.2025 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक **P**/1) को अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता को वर्तमान स्थान में सेवानिवृत्ति तक अर्थात् 31.05.2025 तक अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाती है। वाद-व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**